VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(हमारा संविधान और कानूनी सुधार)

(November 2024)

(Part I)

TOPICS TO BE COVERED

- भारत की संवैधानिक यात्रा: आधारभूत सुधारों पर जोर
- भारतीय संविधान के 75 वर्ष: गरिमापूर्ण यात्रा
- भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत की संवैधानिक यात्रा: आधारभूत सुधारों पर जोर

परिचय:

- भारत का संविधान, इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण है, जो शासन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की जटिलताओं और चुनौतियों के बीच से राष्ट्र का मार्गदर्शन करते हुए समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

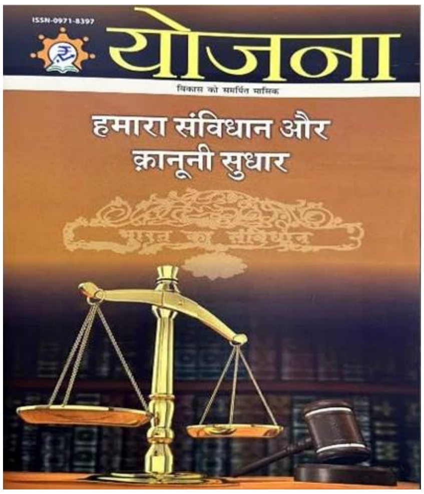

- सटीकता और लगन के साथ तैयार किए गए, इस मूलभूत दस्तावेज ने भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विरासत के विविधता से परिपूर्ण ताने-बाने को एक साथ बुना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और समानता को इसकी आधारशिला के रूप में स्थापित करता है।

जीवंत लोकतंत्र के विकास का प्रेरक:

- संविधान द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों, सामूहिक जिम्मेदारी और कानून के शासन पर बल दिये जाने से भारत अपने अद्वितीय प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बना है, और एक जीवंत, लचीले और गतिशील लोकतंत्र के रूप में उभरा है तथा न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति:

- पिछले दशक में, भारत ने न्याय, समानता और नागरिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों को मजबूत करते हुए संवैधानिक और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम को मजबूत किया गया है, जिससे नागरिकों को सरकारी जानकारी अधिक आसानी से मिल सके।
- वस्तु एवं सेवा कर और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता ने कराधान को सुव्यवस्थित किया है और व्यापार करने को सुगम बनाया है।
- हाल ही में, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) सहित ऐतिहासिक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य न्यायिक परिदृश्य को बदलना, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाना और न्याय तक पहुंच बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा में परिवर्तनकारी बदलाव पेश किए हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, भारत की डेटा सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक

व्यापक ढांचा स्थापित करता है। यह कानून जवाबदेही, विनियमित और सीमा पार डेटा हस्तांतरण जैसी प्रमुख अवधारणाओं का परिचय देता है, जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाता है। हालांकि, कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

न्यायिक सुधारों एवं सामाजिक न्याय पर बल देने की आवश्यकता:

- न्यायपालिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें देरी और न्याय हेतु लंबित मामले भी शामिल हैं जो आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। लक्षित सुधार और पहल इस अंतर को पाट सकते हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों में असमानताओं को संबोधित करके सामाजिक न्याय को एक ठोस वास्तविकता बना सकते हैं, जिससे अंततः सबसे कमजोर आबादी को लाभ होगा।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष: गरिमापूर्ण यात्रा

परिचय:

- भारत अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का पर्व मना रहा है, ऐसे में इस मूल आधारभूत दस्तावेज़ की उल्लेखनीय यात्रा और इसने देश को जो स्वरूप प्रदान किया है उसको बिम्बित करना जरूरी है।

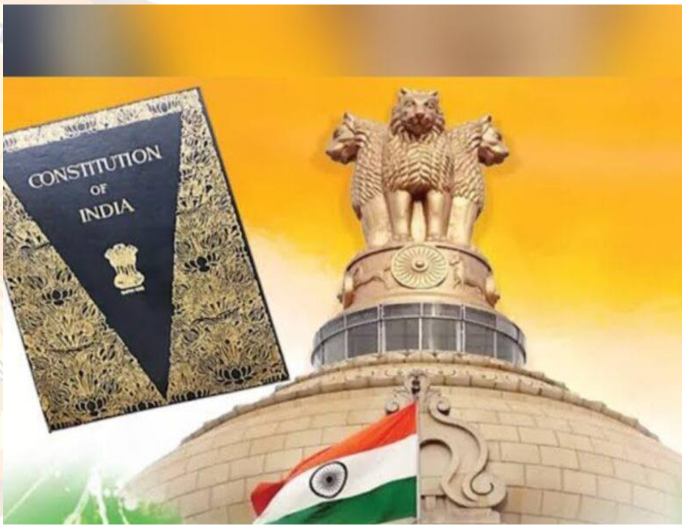

- 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान देश के विविधतापूर्ण और गतिशील समाज का विधायी दस्तावेज है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत समाहित है। संविधान की यह यात्रा केवल प्रशासन के बारे में ही नहीं अपितु लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के विकास, चुनौतियों से निपटने में लचीलापन अपनाने और समग्र विकास के अथक प्रयासों का प्रतीक है।

संविधान के 75 वर्षों की झांकी:

- भारत का संविधान औपनिवेशिक शासन के दमन चक्र और संघर्षपूर्ण संग्राम के दौर में तैयार किया गया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं की

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अगुवाई वाली मसौदा समिति ने ऐसा दस्तावेज बनाने पर बल दिया जिसमें भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और भाषायी और धार्मिक छवि की स्पष्ट झलक समाहित हो। संविधान सभा ने व्यापक बहस, चर्चाएं और विमर्श बैठक करने के बाद ही इसके सशक्त विधायी स्वरूप को अंतिम रूप प्रदान किया ताकि लोकतंत्र सशक्त हो और लोगों के निजी अधिकार सुरक्षित रहें।

- इसमें न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावनाओं के प्रति दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है जो देश के लिए मार्गदर्शक प्रकाश की भूमिका निभाएगा। इन मूल्यों को समय-समय पर कसौटी से गुजरना पड़ा लेकिन संविधान हर स्थिति में सर्वोपरि सिद्ध हुआ। समय और परिस्थितियों के अनुसार ढलकर इसने बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिवेश के अनुरूप दिशा प्रदान की और मौलिक अधिकारों का हर प्रकार से रक्षक बना रहा।
- सभ्य समाज के संगठन ने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की है। ये संगठन मानवाधिकारों, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए मुखर रहे हैं और कमजोर वर्गों की आवाज़ को उठाने में रखवाले की भूमिका निभाते आ रहे हैं। भारत के सशक्त और ऊर्जावान सभ्य समाज में मजबूत

लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होती है और संवैधानिक वायदे पूरे करने में सामूहिक प्रयासों का महत्व भी उजागर होता है।

- संविधान में विविध मतों और जीवनशैलियों को मान्यता दी गई है तथा सांस्कृतिक और भाषायी अधिकार प्रदान किए गए हैं। गत 75 वर्षों में, भारत विभिन्न भाषाओं, परम्पराओं और मतों का खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है जिससे देश का सामाजिक ढांचा सशक्त और समृद्ध बना है।
- संविधान की इस यात्रा में चुनौतियां भी आती रहीं। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर हुए कुठाराघात से लेकर संघवाद और धर्मनिरपेक्षता पर चल रही बहसों तक संविधान अनेक झंझावातों से दो-चार हुआ है। परन्तु निश्चय ही हमारे संविधान ने सहनशक्ति और लचीलेपन के साथ हालात का सामना किया।
- 21 वीं शताब्दी के शुभारंभ के साथ ही आर्थिक असमानता, सांप्रदायिक तनाव और प्रौद्योगिकी के नियमन की आवश्यकता जैसी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन संविधान ने प्रशासन की सहभागितापूर्ण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत और सुधारों का प्रारूप उपलब्ध कराया है।

संविधान की ऐतिहासिक यात्राः

- भारतीय संविधान का निर्माण क्रांतिकारी बदलावों वाली प्रक्रिया थी जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं की पूरी श्रृंखला जुड़ी थी और इनमें से प्रत्येक घटना ने नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र के लिए सशक्त लोकतांत्रिक ढांचा उपलब्ध कराने में अपना-अपना योगदान दिया।
- हमारे संविधान की यह यात्रा **भारत सरकार अधिनियम,** 1935 के साथ शुरू हुई थी जिसके अंतर्गत संघीय ढांचे का प्रस्ताव लाया गया और भारत में संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू करने की बात रखी गई जो संविधान के बारे में आगे होने वाली चर्चाओं की पृष्ठभूमि उपलब्ध कराएगा।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद स्वतंत्रता की बढ़ती मांग के कारण ब्रिटिश सरकार ने **1946 में कैबिनेट मिशन प्लान शुरू किया जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया।**

संविधान सभा की कार्यवाहियांः

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी और बाद में देश की भावी शासन व्यवस्था के बारे में जोरदार चर्चाएं की गई।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- 13 दिसम्बर, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जो एक बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रस्ताव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल देने वाले मूल लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा मसौदा तैयार करने की समूची प्रक्रिया में ये लक्ष्यों के मार्गदर्शक का काम करेंगे।
- डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति 1947 में इन आदर्शों और सिद्धांतों को व्यापक कानूनी रूप देने के लिए गठित की गई थी। सरकार के गठन और उसके स्वरूप, न्यायपालिका की भूमिका और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर जोरदार बहसें की गई जिनसे पता चलता है कि संविधान सभा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों और समग्रता की भावना के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध थी। संविधान सभा ने औपनिवेशिक शासन से उपजे ऐतिहासिक अन्याय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों की आशा-अपेक्षाओं में संतुलन बनाते हुए पूरी लगन और निष्ठा के साथ संविधान की रचना की।

संविधान को अपनाया जाना:

- 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। यह देश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी। हर वर्ष 26 नवम्बर 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है जो भारत में सार्वभौम राष्ट्र की स्थापना को दर्शाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान विधिवत लागू किया गया था और इसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह औपनिवेशिक शासन समाप्त करके स्वराज स्थापित किए जाने का द्योतक भी है।

संविधान में विभिन्न मूल्यों की उपस्थिति एवं विकास:

- संविधान के प्रमुख घटकों में लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा और भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देने वाले **मौलिक अधिकार** तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में राज्य (सरकार) का दिशानिर्देश करने वाले **राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त हैं।** इन मूल तत्वों **में राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता** के प्रति भी संविधान की वचनबद्धता पर जोर दिया गया है।
- समय के साथ ही सिद्ध हो गया कि **संविधान सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के अनुरूप ढलने में सक्षम है।**
- उल्लेखनीय है कि संविधान लोगों के जीवन और अपेक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। संविधान के मूल सिद्धांत और मूल्य तभी उपयोगी और स्थायी होंगे जब उन्हें विशेष संस्कृति और विशेष काल के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।
- संविधान के आधार पर उभरने वाले मूल्यों और संस्थानों का बदलते समय के अनुरूप ढलने में समर्थ होना बेहद जरूरी है।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज:

- संविधान को जीवंत दस्तावेज माना जाता है, तभी तो समय के साथ उभरने वाले जटिल मुद्दों को अपने में समाहित कर लेता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में, अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे सिद्ध हो गया कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है, निश्चेष्ट नहीं।
- बाद के दशकों में संविधान में अनेकानेक संशोधन हुए जो भारत की बढ़ती अपेक्षाओं और चुनौतियों का परिचायक है। प्रत्येक संशोधन स्त्री-पुरुष समानता, आर्थिक असमानता/भेदभाव और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं जैसे समसामयिक मुद्दों से निपटने में संविधान के महत्व और इसकी सामयिकता को दर्शाता है।
- भारतीय संविधान के बारे में हुई जोरदार बहसों में भी इसे 'लचीला' बनाने पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा की बहसों में भी **ए. वी. डाइसी** के इन शब्दों को बहुत महत्व दिया गया था- *"संविधान का अपरिवर्तनीय या कड़ा होना ही उसके भयंकर विनाश या अंत का कारण बनता है"*।
- भारतीय संविधान में समय के साथ किए गए संशोधनों से संविधान निर्माताओं के संवैधानिक आदर्शों में अहम बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों से मौलिक

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अधिकारों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों, मौलिक दायित्वों, सातवीं अनुसूची में शामिल सूचियों, आपातकालीन प्रावधानों, राज्य पुनर्गठन और भाषा, चुनाव और प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर असर पड़ा है।

- यहां यह बात खास ध्यान देने की है कि अमेरिकी संविधान में अभी तक कुल सत्ताईस बार संशोधन हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया का संविधान कुल आठ बार संशोधित किया गया है जबकि भारत के संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं हालांकि हमारा संविधान इन देशों से काफी समय बाद बना था।
- यह विशेष ध्यान देने की बात है कि हमारे संविधान ने अपनी अन्तर्निहित शक्ति के बल पर इन वर्षों में हुए सभी संशोधनों को संविधान-निर्माताओं के मूल आदर्शों तथा मूल्यों के मामले में बिना कोई समझौता किए सहजता से अपना लिया।
- इस पर भी यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने संविधान को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह मुद्दा केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया था। इस अहम मामले में 'मूल ढांचा' सिद्धांत को स्थापित कर दिया गया और इस बात पर ज़ोर दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परन्तु वह मूल ढांचे (स्वरूप) को नहीं बदल सकती।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार, लोकतंत्र के सिद्धांत, अधिकारों के वितरण और संघवाद इसी मूलभूत ढांचे के हिस्से हैं।

न्यायिक व्याख्या के क्रम में मौलिक अधिकारों का विस्तार:

- उल्लेखनीय है कि न्यायपालिका ने संविधान को परिभाषित करने और गत वर्षों में इसका दायरा बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। न्यायपालिका के संवैधानिक व्याख्या की गतिशील प्रकृति से ही उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को जानने-समझने में सफलता मिली है और संविधान जीवंत दस्तावेज का रूप ले सका है जो समसामयिक मूल्यों के अनुरूप बदलाव अपना लेता है।
- अनेक ऐतिहासिक फैसलों से वंचित एवं उपेक्षित समुदायों के अधिकारों, स्त्री-पुरुष समानता और सुनिश्चित पर्यावरण सुरक्षा को मान्यता प्रदान की गई।

मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978):

- मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978) मामले में आए ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख भी ठीक होगा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया, जिसमें जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई।

- न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जीने के अधिकार में केवल जीवित रहने से भाव नहीं है बल्कि इसमें सम्मानपूर्वक जीने की बात है जिससे मौलिक अधिकारों का भाव समझने का ही विस्तार कर दिया गया था और इसी के साथ ऐसे अनेक अधिकार भी शामिल हो गए जिन्हें अब जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना जाता है।
- धीरे-धीरे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा बढ़ता गया और इसमें अनेक अन्य अधिकार जुड़ते चले गए जैसे निजता का अधिकार, अभियुक्त का सुनवाई जल्दी कराने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, अत्याचार के विरोध का अधिकार, अवैध हिरासत, प्रदूषण रहित वातावरण का अधिकार; शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार आदि।

महिलाओं के कार्यस्थल में सुरक्षा के अधिकार:

- उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अक्सर संविधान का सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है और यह भारतीय समाज के बड़े और महत्वपूर्ण वर्गों को राहत उपलब्ध कराते हैं।
- विशाखा बनाम राजस्थान सरकार (1977) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल में यौन प्रताड़ना रोकने के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित किए थे और

माना था कि, इस प्रकार के यौन शोषण से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

नवतेज सिंह जौहर वनाम भारत सरकार (2018):

- नवतेज सिंह जौहर वनाम भारत सरकार (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बदल दिया और आपसी सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों के बारे में कुछ हिस्सों को असंवैधानिक करार दे दिया।
- समाज के काफी बड़े वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया जिससे एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकारों के प्रति जनधारणा में बड़ा बदलाव आ गया।

अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार शामिल:

- न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी। इस डिजिटल युग में डेटा संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के संबंध में इस निर्णय का खासा प्रभाव है।

निष्कर्ष:

- भारतीय संविधान आशा की किरण बनकर देश को परीक्षा की घड़ी और सफलताओं के बीच समान रूप से मार्गदर्शन करता आ रहा है। इसकी 75 वर्ष की यात्रा लोकतंत्र की मूल भावना और न्याय के लिए अनथक प्रयासों की महागाथा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- संविधान की 75वीं वर्षगांठ समारोह मनाने का अवसर मात्र नहीं है; यह कार्यशील होने का आह्वान भी है। लोगों और समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक सहयोग देने के योग्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित बनाना और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है।
- भारत ऐसे महत्वपूर्ण ठहराव पर खड़ा है जहां संविधान में निर्दिष्ट सिद्धांतों के प्रति हमें अपनी निष्ठा की पुष्टि करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करके उसका उत्थान किया जाए। यात्रा जारी है और संविधान के सिद्धांतों से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
- यह गौरव यात्रा सामूहिक प्रयास है जिसके लिए न्यायसंगत और समानता आधारित समाज की स्थापना के प्रति निष्ठा, समर्पण और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है।
- इसके अलावा हितधारकों को संविधान में जल्दबाजी में सुधार लाने से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान मसौदे में समाहित मूल आधार बना रहे और मौलिक सिद्धान्त भी यथावत रहें क्योंकि ये स्थायी और पवित्र हैं।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन

परिचय:

- कानूनी विशेषज्ञों और अनुभवी राजनेताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ रहा है, जो न केवल शासन की एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति का चार्टर भी है।

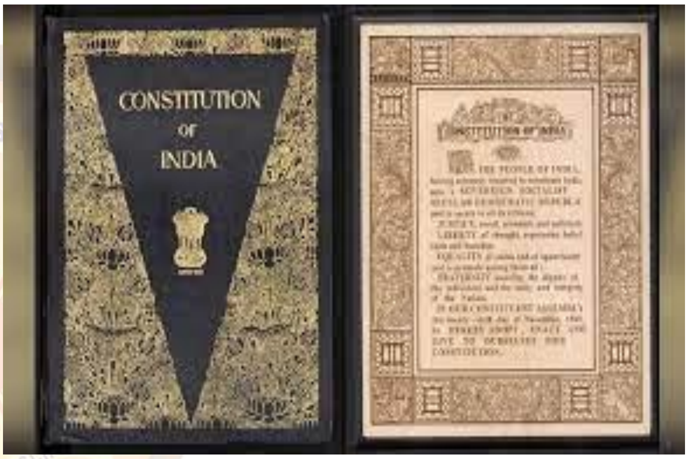

- यह न केवल भारत के शासन के लिए मौलिक कानूनों को निर्धारित करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज़ भी है। इस दस्तावेज़ को भारतीय लोगों की विविध आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था।

ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे संविधान का विकास:

- वर्तमान संविधान के एक लंबे शताब्दी ब्रिटिश शासन से विकसित हुआ है, जिसके दौरान ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम बनाए, जिन्होंने भारत को सरकार और प्रशासन का ढांचा प्रदान किया।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

- इन अधिनियमों में से, 1909 का परिषद् अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के संवैधानिक विकास में तीन प्रमुख मील के पत्थर हैं। इन अधिनियमों ने ब्रिटिश भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रदान किया। कानून का शासन, संघवाद और एक मजबूत केंद्रीय सरकार इन अधिनियमों की अन्य प्रमुख विशेषताएं थीं।
- वास्तव में, भारत सरकार अधिनियम, 1935, हमारे वर्तमान संविधान को अपनाने तक ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में कार्य करता था। हमारे संविधान का 65 प्रतिशत हिस्सा अकेले इस अधिनियम से लिया गया है।

संघीय संविधान का संवैधानिक संशोधन:

- एकात्मक संविधानों की तुलना में संघीय संविधानों में संशोधन करना अधिक कठिन होता है। इन्हें एक कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाना होता है, जिसके लिए संघीय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है।
- उदाहरण के लिए, अमेरिकी संविधान बहुत कठोर है, और इसे संशोधित करने के लिए न केवल अमेरिकी कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके 50 राज्यों में से तीन-चौथाई द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।

- भारत के मामले में, जो एक संघीय संविधान भी है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं।

संविधान संशोधनों की आवश्यकता:

- संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे उन लोगों की बदलती सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया है। बदलते समय और परिस्थितियों के साथ लोगों की आकांक्षाएं भी बदलती हैं और इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रह जाएगा और पुराना हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान में ही संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) का प्रावधान किया।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया:

- हमारे संविधान में संशोधन तीन तरीकों से किया जा सकता है:

   1. **संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित** एक साधारण कानून के द्वारा। उदाहरण के लिए, नए राज्यों का प्रवेश (अनुच्छेद 2), नए राज्यों का निर्माण या उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3), या नागरिकता प्रावधानों में किए गए परिवर्तन (अनुच्छेद 11)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2. अनुच्छेद 368 में दी गई **एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके**, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक है। अधिकांश संशोधन इसी प्रक्रिया का पालन करके किए जाते हैं।
3. **संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करके और साथ ही कम से कम आधे राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन करके**, यदि विधेयक संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में परिवर्तन करना चाहता है।

क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं?

- संसदीय संप्रभुता की धारणा यह बताती है कि संसद, अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति रखती है।
- वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो मामलों में यही रुख अपनाया था: **शंकरी प्रसाद मामला, 1951, और सज्जन सिंह मामला, 1964,** जिसमें संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- हालांकि, **गोलकनाथ मामले, 1967 में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती।**
- जवाब में, संसद ने 1971 में 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया जिसने गोलकनाथ फैसले को पलट दिया। ***अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में नए खंड जोड़कर, यह स्पष्ट किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है।***

केशवानंद भारती केस, 1973 और मूल संरचना का सिद्धांत:

- यद्यपि हमारे संविधान में 'मूल संरचना' शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस, 1973 में गढ़ा था। इसका अर्थ है संविधान की मूल विशेषताएं, जैसा कि न्यायालय ने बताया है। न्यायालय द्वारा बताई गई ये मूल विशेषताएं या मूल विशेषताएं हैं:
  - ➢ संविधान की सर्वोच्चता
  - ➢ सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप
  - ➢ संसदीय लोकतंत्र
  - ➢ धर्मनिरपेक्षता
  - ➢ शक्तियों का पृथक्करण

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- ➢ कानून का शासन
- ➢ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और
- ➢ राजनीति का संघीय चरित्र, आदि।

- उपर्युक्त संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं और इसलिए, उन्हें संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान के मूलभूत ढांचे या आवश्यक विशेषताओं से समझौता करते हों।
- इस बाधा को ***42वें संशोधन, 1976 के द्वारा*** दूर करने का प्रयास किया गया, जिसने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी तथा इसे किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने से सुरक्षित किया। फिर **मिनर्वा मिल्स निर्णय, 1980 आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया, यह मानते हुए कि यह संविधान की मूल विशेषता को नष्ट करता** है।

1950 के बाद से ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन:

- यद्यपि अब तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन प्रमुख माने जाते हैं जिन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

पहला संशोधन अधिनियम, 1951:

- इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 (राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता, आदि) में दिए गए विभिन्न आधारों पर बनाए गए कानूनों पर **'उचित प्रतिबंध' लगाना** था।
- इसने **जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया और संविधान में 9वीं अनुसूची** शामिल की जो कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान करती है, जो ज्यादातर भूमि सुधारों से संबंधित हैं।
- **सातवां संशोधन अधिनियम, 1956:** इसका मुख्य उद्देश्य अफ़ज़ल अली समिति द्वारा अनुशंसित **भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** को लागू करना था।

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:

- इसे भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने आपातकाल के दौरान संविधान में व्यापक और कठोर परिवर्तन किए थे।
- इसने अनुच्छेद 39A (मुफ्त कानूनी सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), 48A (पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा) को जोड़कर प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया, और संविधान में भाग-IVA को शामिल करके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया।

- अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति को 'मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य' बनाया गया।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े, जिससे संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की असीमित शक्तियां मिल गईं।
- आपातकाल के दौरान पारित इस संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया और मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया।

44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:

- यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संशोधन और आपातकाल के अनुभव की पृष्ठभूमि में लागू किया गया था।
- **आपातकाल से जुड़े संशोधन:**
  - ➢ सबसे पहले, इसने आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किए।
  - ➢ शब्द 'आंतरिक अशांति', जो एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति थी और जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था, को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया।

- ➢ इसके अलावा, आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई।
- ➢ साथ ही, इसे एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक था। इसे आगे जारी रखने के लिए, इसे संसद द्वारा हर छह महीने में केवल दो-तिहाई बहुमत से नवीनीकृत किया जाना आवश्यक था।
- ➢ साथ ही, लोकसभा को एक साधारण प्रस्ताव द्वारा इसे रद्द करने का अधिकार दिया गया था यदि उसके दस प्रतिशत सदस्य इसे रद्द करने के लिए विशेष बैठक का अनुरोध करते हैं।

- **संपत्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति:** हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव संपत्ति के अधिकार में किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 19 (1) (F) को हटाकर और अनुच्छेद 300 को नए अनुच्छेद 300A में बदलकर इसका मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया। इस प्रकार, आज, संपत्ति का अधिकार केवल एक संवैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार जिसका अर्थ है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और यदि किसी की संपत्ति

अधिग्रहित की जाती है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उपाय की मांग नहीं कर सकता।

52वां संशोधन अधिनियम, 1985:

- इस संशोधन के जरिये दलबदल की बुराई से निपटने का प्रयास किया गया। इस संशोधन द्वारा, संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जो उन आधारों को प्रदान करती है जिनके आधार पर किसी विधायिका के सदस्य को दलबदल के कृत्य के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस अधिनियम को 91वें संशोधन द्वारा और मजबूत किया गया, जिसने 1985 के दल-बदल विरोधी कानून को और अधिक सशक्त बनाया।

61वां संशोधन अधिनियम, 1988:

- इस संशोधन का उद्देश्य भारत के युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था।

73वाँ और 74वां संशोधन अधिनियम, 1992:

- इन दो संशोधनों ने भाग IX (पंचायत) और भाग IXA (नगरपालिकाएं) जोड़कर गांव और शहरी दोनों स्तरों पर स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक बना दिया है।

- दो नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, अर्थात् 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, जो इन स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्य के क्षेत्रों का विवरण देती हैं।

100वां संशोधन अधिनियम, 2016:

- इस अधिनियम के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के तहत जीएसटी व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसने एक झटके में कर व्यवस्था को सरल बना दिया और इसे सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है।
- संघ और राज्य दोनों ने एक समान कर व्यवस्था, यानी जीएसटी पर सहमत होने के लिए अपनी संप्रभुता को एक साथ रखा।

106वां संशोधन अधिनियम, 2023:

- इसने आखिरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। लगभग दो दशकों तक विधेयक पारित करने में कई बाधाओं का सामना करने के बाद यह संभव हो पाया है।
- इस अधिनियम ने एक ही झटके में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाया है और हमारी विधायिकाओं को लैंगिक दृष्टि से अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाया।